न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **134/13 (वाद)**

GCMS No. : 2013/00021

1. श्रीमती मघाबाई पुत्री भवानीशंकर पत्नी भंवरलाल आमेटा ब्राहम्ण निवासी नवानिया तहसील वल्लभनगर।
2. श्रीमती लीलाबाई पुत्री भवानीशंकर पत्नी अमृतलाल आमेटा ब्राहम्ण निवासी ईण्टाली तहसील मावली।
3. श्रीमती नाथीबाई पुत्री भवानीशंकर पत्नी शिवचन्द्र आमेटा ब्राहम्ण निवासी तितरडी तहसील गिर्वा।

............वादीगण

बनाम्

1. श्री मुकेश पिता नर्बदाशंकर आमेटा ब्राहम्ण निवासी गादोली तहसील मावली।
2. श्रीमती तुलसा पत्नी नर्बदाशंकर आमेटा ब्राहम्ण निवासी गादोली तहसील मावली।
3. श्री फतहलाल पिता भवानीशंकर आमेटा ब्राहम्ण निवासी गादोली तहसील मावली।
4. श्री मनीष कुमार पिता हीरालाल आमेटा ब्राहम्ण निवासी गादोली तहसील मावली।
5. श्री कुशल कुमार पिता हीरालाल आमेटा ब्राहम्ण निवासी गादोली तहसील मावली।
6. श्रीमती धापुबाई बेवा भवानीशंकर आमेटा ब्राहम्ण निवासी गादोली तहसील मावली। तर्क किया।
7. श्री यज्ञप्रकाश पिता रामचन्द्र आमेटा ब्राहम्ण निवासी गादोली तहसील वल्लभनगर।
8. श्री जगदीशचन्द्र पिता लक्ष्मीलाल विजयवर्गीय निवासी गादोली तहसील मावली।
9. तहसीलदार, तहसील कार्यालय मावली तहसील मावली।
10. उप पंजीयक, उप पंजीयन कार्यालय मावली तहसील मावली।
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।
12. श्रीमती गोपीबाई पत्नी लक्ष्मीलाल आमेटा निवसी तितरडी तहसील गिर्वा।
13. श्री मांगीलाल पिता डालचन्द आमेटा निवासी गादोली तहसील मावली। लाऔलाद फौत।
14. श्री मांगीलाल पिता दौलतराम आमेटा निवासी गादोली तहसील मावली। मृतक के बजाय :—

14/1 श्री गोपेश पिता मांगीलाल आमेटा निवासी गादोली तहसील मावली।

14/2 श्री योगेशचन्द्र पिता मांगीलाल आमेटा निवासी गादोली तहसील मावली।

14/3 श्रीमती शान्तादेवी पत्नी मांगीलाल आमेटा निवासी गादोली तहसील मावली।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.01.21 13:55:38 IST
Reason: SelfAttested

14/4 श्रीमती मंजूदेवी पत्नी सुरेशचन्द्र पुत्री मांगीलाल आमेटा निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर।
14/5 श्रीमती रेखादेवी पत्नी सत्यनारायण पुत्री मांगीलाल आमेटा निवासी खेमपुर तहसील मावली।
14/6 श्रीमती इन्द्रा देवी पत्नी राजेन्द्र आमेटा निवासी सांगवा तहसील मावली।
14/7 श्रीमती वीनू देवी पत्नी सुरेशचन्द्र आमेटा निवासी खेरोदा तहसील वल्लभनगर।
15. श्री रामचन्द्र पिता दौलतराम आमेटा निवासी गादोली तहसील मावली।
16. श्री भरत पिता दौलतराम आमेटा निवासी गादोली तहसील मावली।
17. श्री भूरालाल पिता दौलतराम आमेटा निवासी गादोली तहसील मावली।
18. श्री रामेश्वरलाल पिता मोडा गुर्जर निवासी तलाई गादोली तहसील मावली।
19. श्री अरूण कुमार पिता कैलाशचन्द्र आमेटा निवासी गादोली तहसील मावली।
20. श्री रामचन्द्र पिता हमेरलाल आमेटा निवासी गादोली तहसील मावली।
21. श्री कन्हैयालाल पिता हमेरलाल आमेटा निवासी गादोली तहसील मावली।
22. श्री खेमराज पिता मोडा गुर्जर निवासी तलाई तहसील मावली।
22/1 श्री देवीलाल पिता स्व. खेमराज गुर्जर निवासी तलाई तहसील मावली।
22/2 श्री दिनेशचन्द्र पिता स्व. खेमराज गुर्जर निवासी तलाई गादोली तहसील मावली।

...............प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री लक्ष्मीलाल रेगर, अधिवक्ता वादीगण।
2. श्री जयेश कुमार जैन, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 7
3. श्री राजेश दाधीच, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 3, 6

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 02.12.2025

1. वादीगण द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53–88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा गादोली पटवार हल्का गादोली में पक्षकारान की सामलाती पैतृक कृषि भूमियां स्थित है। परिशिष्ट क में वर्णित आराजी नम्बर 823, 824, 849, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1022, 1023, 1026, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1038 किता 17 कुल रकबा 36 बीघा 1 बिस्वा। परिशिष्ट ख में वर्णित आराजी नम्बर 1027 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा। परिशिष्ट ग में वर्णित आराजी नम्बर 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 844, 1644, 1645 किता 20 कुल रकबा 26 बीघा स्थित हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.01.21 13:55:38 IST
Reason: SelfAttested

2. यह कि पक्षकारान का सजरा खानदान निम्न प्रकार है :—

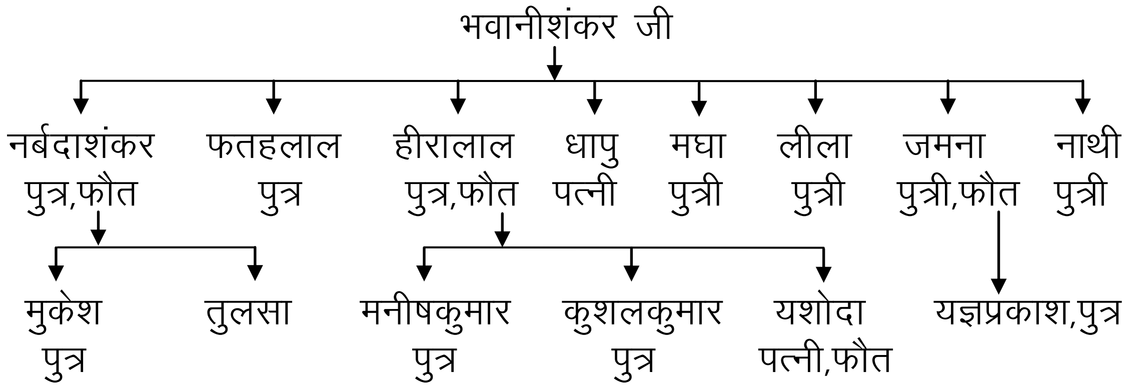

3. यह कि वाद पत्र में वर्णित आराजीयात में वादीगण का एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 7 तक का जन्म से अधिकार है क्योंकि उक्त वर्णित जमीन हमारे पति/पिता स्वर्गीय भवानीशंकर का नाम वादपत्र में वर्णित परिशिष्ट क व ख वाली जमीन में 1/2 हिस्से से दर्ज था तथा परिशिष्ट ग वाली जमीन में 1/4 हिस्से से दर्ज था। जिनका स्वर्गवास आज से करीब 37—38 साल पहले हो चुका है। उनका स्वर्गवास हो जाने के बाद उनके खातेदारी की जमीन उनके वारिस नर्बदाशंकर (पुत्र), फतहलाल (पुत्र), हीरालाल (पुत्र), श्रीमती धापुबाई (पत्नी), श्रीमती मगाबाई (पुत्री), श्रीमती लीलाबाई (पुत्री), श्रीमती जमनाबाई (पुत्री), श्रीमती नाथीबाई (पुत्री) कुल 8 के नाम बराबर—बराबर हिस्से से दर्ज होनी चाहिए थी अर्थात् परिशिष्ट क, ख वाली जमीन में 1/16—1/16वां हिस्सा प्रत्येक के नाम पर तथा परिशिष्ट ग वाली जमीन में 1/32—1/32वां हिस्सा प्रत्येक के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज होनी चाहिए थी, जो नहीं होकर केवल नर्बदाशंकर, फतहलाल, हीरालाल के नाम पर ही दर्ज हुई। भवानीशंकर की हम वादीगण पुत्रीयां है, हमारे नाम दर्ज नहीं हुई, हमारी माता श्रीमती धापुबाई का नाम भी दर्ज नहीं किया। उसके बाद नर्बदाशंकर का देहान्त हो गया है उनके बजाय उनके पुत्र मुकेश एवं पत्नी श्रीमती तुलछाबाई का नाम एवं श्री हीरालाल जी का देहान्त हो चुका है उनके बजाय उनके वारिस मनीषकुमार, कुशलकुमार का नाम दर्ज हो गया हैं। हमारी बहन श्रीमती जमना का भी स्वर्गवास हो चुका है, उसका वारिस यज्ञप्रकाश है, उसका नाम दर्ज कराया जावें। प्रतिवादीगण मुकेश, श्रीमती तुलछा ने एवं मनीष कुमार एवं कुशल कुमार ने संयुक्त रूप से 1/3 हिस्से को बेचा प्रतिवादी जगदीशचन्द्र विजयवर्गीय को

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.01.21 13:55:38 IST
Reason: SelfAttested

विक्रय कर दी हैं। विक्रय पत्र दिनांक 17.04.2013 की फोटो प्रति साथ संलग्न है। विक्रेतागण ने अपने हिस्से से अधिक जमीन को विक्रय कर दी क्योंकि हमारा हिस्सा भी उनके नाम दर्ज हो गया, जो गलत हुआ। इसलिए उनके द्वारा किया विक्रय हमारे मुकाबले नल एण्ड वोईड हैं।

4. यह कि क्रेता जगदीशचन्द्र कथित विक्रय पत्र की आड में हमारी जमीन में प्रवेश कर कब्जा करने की कोशिश करेगा, जमीन अपने नाम दर्ज करायेगा तथा प्रतिवादीगण शेष जमीन को और विक्रय कर देंगे तो हम हमारे हिस्से की जमीन से सदैव के लिये वंचित हो जायेंगे, मुकदमेबाजी बढेगी, हमें जो अपूरणीय क्षति होगी। उसका मूल्यांकन मुद्रा में किया जाना संभव नहीं होगा। इसलिए प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करना जरूरी है कि प्रतिवादीगण हमारे कब्जे काश्त की जमीन में किसी प्रकार दखलन्दाजी नहीं करे, शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे, रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं करें। वादग्रस्त जमीन मौरूसी है, अविभाजित है तथा विधिवत् बंटवारा नहीं हुआ है जो कराया जावे तथा बंटवारा में आई जमीन का कब्जा स्वतन्त्र रूप से दिलाया जावे तथा हमारे हिस्से की जमीन हमारे नाम दर्ज करायी जावें।

5. यह कि वाद कारण आज से 20 दिन पहले पैदा हुआ जब प्रतिवादी क्रेता जगदीशचन्द्र ने कहा कि जमीन को उसने खरीदी है तो वादीगण ने नकलें आदि प्राप्त की तो पता चला। क्रेता अब खरीदी हुई जमीन को वापस अन्य को विक्रय करने पर आमादा है। दिनांक 06.05.2013 को जगदीशचन्द्र ने कहा कि मैने जमीन खरीद ली हैं। कब्जा हटाओं। वाद कारण निरन्तर जारी हैं। वादीगण का प्रथम दृष्टया मामला हैं। पैतृक कृषि भूमि का वाद है, हमारे मौरूस भवानीशंकर की थी, भवानीशंकर के मरने के बाद हम वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4, 5 के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 3 व 6 के नाम दर्ज होनी चाहिए थी जो नहीं हुई। इसलिए वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाई जावे कि वाद पत्र में वर्णित जमीन में वादीगण का कब्जा है काश्त कर रही है उपयोग उपभोग कर रही है उसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.01.21 13:55:38 IST
Reason: SelfAttested

देवे तथा प्रतिवादी क्रेता जगदीशचन्द्र को पाबंद किया जावे कि वह उक्त जमीन में प्रवेश नहीं करे, किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचावे, जमीन क्रेता अपने नाम दर्ज नहीं करावें तथा पुनः अन्य को हस्तान्तरित नहीं करे तथा तहसीलदार पटवारी को पाबंद किया जावे कि रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। उप पंजीयक को पाबंद किया जावे यदि प्रतिवादी संख्या 1 से 5 वादगत जमीन बाबत् कोई रजिस्ट्री का दस्तावेज पेश करे तो वे उसका पंजीयन नहीं करें।

6. यह कि राज्य सरकार को भी पक्षकार बनाया गया हैं। मामला आवश्यक प्रकृति का होने के कारण कानूनी नोटिस नहीं दिया गया हैं। इसकी छूट दिलाने बाबत् प्रार्थना पत्र धारा 80 जा.दी. का अलग से पेश कर दिया गया है। प्रतिवादी संख्या 6 श्रीमती धापुबाई एवं प्रतिवादी संख्या 7 यज्ञप्रकाश के विरूद्व कोई निषेधाज्ञा नहीं चाहिए, वरन् उनका भी वादग्रत जमीन में हिस्सा है जो पाने के हकदार है, इसलिए पक्षकार बनाया है। अन्त में निवेदन किया कि वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आशय की घोषणा जारी की जावे कि वादपत्र में वर्णित परिशिष्ट क, ख व ग वाली जमीन स्वर्गीय भवानीशंकर की कृषि भूमि में हम वादीगण 1/8–1/8 हिस्से के खातेदार काश्तकार हैं। वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 एवं क्रेता जगदीशचन्द्र के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी कर पाबंद किया जावे कि वे वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, शांतिपूर्वक वादीगण को काश्त करने देवें। प्रतिवादी जगदीशचन्द्र जमीन में प्रवेश नहीं करे, जमीन अपने नाम दर्ज नहीं करावें तथा उसे पुनः विक्रय नहीं करे, न अन्य से करावें। जमीन का बंटवारा करा हमारे हिस्से की जमीन का स्वतन्त्र कब्जा दिलाया जावे एवं रेकार्ड में भी स्वतन्त्र रूप से खाते दर्ज कराई जावें। विकल्प में निवेदन है कि प्रतिवादी जगदीशचन्द्र अपने नाम जमीन दर्ज करा लेवे तथा जमीन जगदीशचन्द्र विक्रय कर देवे तो पुनः वाद दायर की स्थिति को कायम करवाया जावें। वाद व्यय वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.01.21 13:55:38 IST
Reason: SelfAttested

7. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4, 5, 12, 14/1 से 14/7, 15 से 21, 22/1, 22/2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4, 5 द्वारा जवाब दावा मय प्रारम्भिक आपत्ति पेश कर निवेदन किया कि वादीयां व प्रतिवादी संख्या 3 जो आपस में भाई बहन होकर मिले हुए है तथा दोनों ने आपस में दुरभीसंधि कर रखी है तथा हम प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4, 5 को मात्र तंग परेशान करने के लिए झुठा दावा किया है जो चलने योग्य नहीं है। वादी संख्या 1 की उम्र करीबन 82 साल से अधिक है वादी संख्या 2 की उम्र करीबन 77 वर्ष से अधिक है, एवं वादीयां संख्या 3 की उम्र करीबन 62 वर्ष के ऊपर है तथा वादीयां के जन्म के समय हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के लागु नहीं होने की स्थिति में वादीयां हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत् वाद वर्णित रिलिफ अथवा अधिकार मांगने की अधिकारिणी नहीं होकर प्रस्तुत वाद आरम्भतः खारिज होने योग्य है। हम प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 व 5 ने प्रतिवादी संख्या 8 के पक्ष में अपने हक हिस्से का पंजीकृत विक्रय पत्र का निष्पादन कराया जो सही है जब तक उक्त विक्रय पत्र को सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं कराया जाता तब तक उक्त दावा नहीं चल सकता है। इसलिए उक्त वाद खारिज होने योग्य हैं।

8. यह कि वादीयां द्वारा प्रस्तुत वाद 53, 88 व 188 के शीर्षक के तहत् आप न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जो कि समस्त खातेदारान को आवश्यक पक्षकार के रूप में समायोजित नहीं करते हुए उक्त वाद प्रस्तुत किया गया है जबकि बंटवाडा बाबत् प्रस्तुत किये गये वाद में समस्त खातेदारान को पक्षकार बनाया जाना अत्यन्त आवश्यक है। पक्षकारों के असंयोजन अथवा कुसंयोजन के कारण भी उक्त वाद चलने योग्य नहीं हैं। वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी संख्या 9 से 12 सरकारी कर्मचारी हो राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करते है, ऐसी स्थिति में उनके विरूद्व किसी भी प्रकार का वाद प्रस्तुत करने से पूर्व विधि द्वारा निर्धारित अवधि का सूचना पत्र अन्तर्गत धारा 80 जा.दी. के द्वारा सूचित किया जाना अत्यन्त आवश्यक हैं। प्रस्तुत वाद में वादीयां द्वारा विधि के

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.01.21 13:55:38 IST
Reason: SelfAttested

आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने के कारण भी प्रस्तुत वाद खारिज होने योग्य है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 (4) के अन्तर्गत भी 12 वर्ष से अधिक समय से वादीया का कब्जा नहीं होने से तथा कब्जा लेने की मयाद भी समाप्त होने से उसका हक अधिकार समाप्त हो जाता हैं।

9. यह कि वादीया का वादग्रस्त आराजीयात में कोई स्वामित्व आधिपत्य नहीं है। सभी वादीयां अपने ससुराल रहती है। वादग्रस्त आराजीयात में वादीयां का कभी भी कोई कब्जा नहीं रहा है, ना वर्तमान में ही हैं। जानबुझकर प्रतिवादी संख्या 3 से दुरभिसंधि कर उक्त वाद प्रस्तुत किया है ताकि प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 व 5 को तंग परेशान किया जा सके। वादीया का कभी भी उक्त आराजीयात पर कब्जा नहीं रहा है और वादीयां शादी के बाद से ही अपने ससुराल में ही निवास कर रही है वक्त शादी वादीया को समस्त स्त्रीधन जर जेवरात दिये और सामाजिक रिति रिवाजानुसार धूम धाम से शादी करायी एवं समय–समय पर मायरा मौसेरा सम्बन्धी समस्त दायित्वों का निर्वहन हम प्रतिवादीगण द्वारा किया गया एवं इस समय से लेकर आज दिन तक उक्त वर्णित आराजीयात के उक्त वर्णित हिस्से पर स्व. भवानीशंकर जी के हम वारिसानों के काबिज होने व उसका उपयोग उपभोग किये जाने में वादीयागण की सदैव सहमति रही व उनके द्वारा कभी कोई उजर एतराज नहीं किये जाने की स्थिति में वर्तमान में वादीयागण विधि के सुस्थापित सिद्वान्त “ESTOPLE” के सिद्वान्त से बाधित होते हुए अब लगभग 50 वर्षों के बाद वादीगण उक्त उजर एतराज नहीं उठा सकती।

10. यह कि प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 व 5 ने अपनी खातेदारी हक हिस्से की कृषि भूमि आराजी नम्बर 1026, 1028 व 1027 का अपना हिस्सा ही प्रतिवादी संख्या 8 को विक्रय किया जबकि वादीयां द्वारा वाद में वर्णित कथन से प्रतीत होता है जैसे अपनी सभी कृषि भूमि को विक्रय कर दिया हो जो कि पूर्णतया गलत हैं। वादीयां का वादग्रस्त आराजीयात में कोई कब्जा नहीं है तथा वर्तमान में वादग्रस्त जमीन में आराजी नम्बर 1026, 1028 एवं 1027 प्रतिवादी संख्या 8 के नाम दर्ज हो कब्जे काश्त है। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 व 5 ने विधिवत् तरीके से विक्रय पत्र पंजीकृत करा कर प्रतिवादी संख्या 8 को सिपूर्द कर दिया हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi
Punadia
Date: 2026.01.21 13:55:38 IST
Reason: SelfAttested

वर्तमान में वादग्रस्त जमीन में आराजी नम्बर 1026, 1028 एवं 1027 प्रतिवादी संख्या 8 के नाम दर्ज हो कब्जे काश्त है, उक्त भूमि में प्रवेश करने से प्रतिवादी संख्या 8 को रोकने पर प्रतिवादी संख्या 8 को अपूरणीय क्षति होगी। वादीया का उक्त वादग्रस्त आराजीयात में कभी कोई कब्जा नहीं रहा वरन् प्रतिवादी संख्या 3 से दुरभिसंधि कर उक्त दावा प्रस्तुत किया गया है एवं उक्त आराजीयात पर विक्रय पत्र पंजीकृत होने की दिनांक से प्रतिवादी संख्या 8 का स्वामित्व एवं आधिपत्य चला आ रहा है, प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 व 5 ने वैधानिक दस्तावेज के आधार पर प्रतिवादी संख्या 8 को कब्जा सिपूर्द किया है और उसी आधार पर राजस्व रेकार्ड में नियमानुसार कार्यवाही कर दर्ज किया गया जब तक उक्त दस्तावेज को सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया जाता है तब तक उक्त दस्तावेज को नुमाईशी एवं बेअसर नहीं घोषित किया जा सकता है। वादीयां वादग्रस्त आराजीयात में स्वत्व नहीं रखने से वादग्रस्त आराजीयात में अपने आप को खातेदार काश्तकार घोषित नहीं करा सकती हैं।

11. यह कि वादीयां का जन्म हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागु होने से पहले हुआ है एवं उक्त हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में वर्णित प्रावधान भूतलक्षी प्रभाव से लागु नहीं होने के कारण वादीयां उक्त अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के आधार पर किसी भी प्रकार की दाद रिलिफ माननीय न्यायालय से प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है, ना ही वादीयागण को उक्त अधिनियम के तहत् कोई हक, अधिकार ही प्राप्त होते है, ना ही उक्त कृषि भूमि अविभाजित है, बल्कि उक्त कृषि भूमि भवानीशंकर जी ने अपने जीवनकाल में ही मौखिक विभाजन कर तीनों पुत्रों को पृथक–पृथक 1/3–1/3 हक हिस्से अनुसार विभाजित कर कब्जा सौंप दिया उसी अनुसार आपसी सहमति पूर्वक आज भी सभी प्रतिवादी काबिज हो काश्त कर रहे हैं। वादीया द्वारा यह कथन करना कि वाद कारण प्रतिवादी संख्या 8 द्वारा कहने से पता चली जिससे भी स्पष्ट है कि वादीया का कभी कोई कब्जा उक्त भूमि पर नहीं रहा जानबुझकर प्रतिवादी संख्या 8 व हम प्रतिवादीगण को तंग परेशान करने के लिए ही उक्त वाद प्रस्तुत किया गया है जबकि वाद पत्र प्रस्तुत करने से पहले ही उक्त विक्रीत भूमि प्रतिवादी संख्या 8 के नाम दर्ज हो गई एवं वादीगण द्वारा अपने सम्पूर्ण

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.01.21 13:55:38 IST
Reason: SelfAttested

वादपत्र में कहीं भी वादग्रस्त आराजीयात में अपना नाम खातेदार की हैसियत से दर्ज नहीं होने की जानकारी सर्वप्रथम कब होने सम्बन्धी कोई कथन नहीं किया है जिससे भी प्रस्तुत वाद का कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होता हैं।

12. यह कि वादीगण का उक्त मामला प्रथम दृष्टया नहीं है क्योंकि वादीयां का जन्म हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के लागु होने से पूर्व होने से उनका उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा अधिकार नहीं है, ना ही कभी कोई कब्जा ही उक्त भूमि पर वादीयां का रहा है, प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 व 5 ने अपने वैध अधिकारों का उपयोग करते हुए तय प्रतिफल प्राप्त कर वादग्रस्त आराजीयात प्रतिवादी संख्या 8 को विक्रय की है। जब वादीयां का कोई हक हिस्सा आधिपत्य कब्जा उक्त कृषि भूमि पर नहीं है इसलिए वादीयां हम प्रतिवादीगण के खिलाफ कोई स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने की अधिकारिणी नहीं हैं। राज्य सरकार को प्रतिवादी संख्या 9 से 12 को धारा 80 का नोटिस नहीं दिये जाने से भी यह वाद चलने योग्य नहीं है। वादीया द्वारा ये कहना कि उक्त मामला आवश्यक प्रकृति का होने से कानूनी नोटिस नहीं देकर मात्र अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो गलत है जबकि नोटिस दिया जाना आवश्यक हैं। वादीयां ने गलत एवं विधि विरूद्व इस्तदुआ एवं डिक्री जारी कराने की मांग की है जो प्राप्त करने की वादीया अधिकारिणी नहीं है, इसलिए उक्त दावा मय हर्जा खर्चा खारिज कर धारा 35 ए जा.दी. के तहत् मुझे विशेष हर्जाना दिलाया जावें।

13. **प्रतिवादी संख्या 7 द्वारा जवाब दावा पेश कर निवेदन किया** कि सजरा खानदान स्वीकार हैं। वादग्रस्त भूमियां पैतृक हैं। अतः भवानीशंकर जी की कृषि भूमियां उनके विधिक वारिसान के नाम हिस्से अनुसार दर्ज किया जाना जरूरी है। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 व 5 ने प्रतिवादी संख्या 8 को जो जमीन विक्रय की है, उसे अपने हिस्से से अधिक विक्रय किया है जो हमारे हक के मुकाबले नल एण्ड वोईड है। मेरे हिस्से की जमीन पर स्थाई निषेधाज्ञा प्रदान करना न्यायहित में हैं। जमीन मौरूसी है जिसे मेरे नाम पर मेरा हिस्सा दर्ज होना जरूरी हैं। क्रेता जगदीशचन्द्र को व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को रजिस्ट्री का पंजीयन नहीं करने हेतु पाबंदगी न्यायहित में हैं। अन्त में निवेदन किया कि मेरे

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.01.21 13:55:38 IST
Reason: SelfAttested

नाम पर स्व. भवानीशंकर जी की आराजीयात में 1/8 हिस्सा दर्ज फरमाया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 व जगदीशचन्द्र को अन्य विक्रय करने से पाबंदगी जरूरी है। जमीन का बंटवारा फरमाया जाकर मेरे नाम मेरा हिस्सा स्वतन्त्र दर्ज किया जावें। जगदीशचन्द्र को विक्रीत जमीन में मेरा हिस्सा अंकित किया जावें।

14. **प्रतिवादी संख्या 8 द्वारा प्रारम्भिक आपत्ति मय जवाब दावा पेश कर निवेदन किया** कि वादीयां व प्रतिवादी संख्या 3 जो आपस में भाई बहन होकर मिले हुए है तथा दोनों ने आपस में दुरभीसंधि कर रखी है तथा मुझ प्रतिवादी संख्या 8 को परेशान करने एवं विक्रय की गई जमीन पुनः हडपने के लिए झुठा दावा किया है जो चलने योग्य नहीं है। वादीया की उम्र करीबन 70 वर्ष से अधिक हो चुकी है तथा वादीयां के जन्म के समय हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के लागु नहीं होने की स्थिति में वादीयां हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत् वाद वर्णित रिलिफ अथवा अधिकार मांगने की अधिकारिणी नहीं होकर प्रस्तुत वाद आरम्भतः खारिज होने योग्य है। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 व 5 द्वारा प्रतिवादी संख्या 8 के पक्ष में लिखे गये पंजीकृत विक्रय पत्र को सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं करने तक उक्त दावा नहीं चल सकता है। इसलिए उक्त वाद खारिज होने योग्य हैं।

15. यह कि वादीयां द्वारा प्रस्तुत वाद में मुझ प्रतिवादी संख्या 8 के विरूद्व कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होता है जानबुझकर तंग परेशान करने के लिए उक्त वाद प्रस्तुत किया गया होने से भी यह वाद खारिज होने योग्य हैं। वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी संख्या 9 से 12 सरकारी कर्मचारी हो राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करते है, ऐसी स्थिति में उनके विरूद्व किसी भी प्रकार का वाद प्रस्तुत करने से पूर्व विधि द्वारा निर्धारित अवधि का सूचना पत्र अन्तर्गत धारा 80 जा.दी. के द्वारा सूचित किया जाना अत्यन्त आवश्यक हैं। प्रस्तुत वाद में वादीयां द्वारा विधि के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने के कारण भी प्रस्तुत वाद खारिज होने योग्य है।

16. यह कि वादीया का वादग्रस्त आराजीयात में कोई स्वामित्व आधिपत्य नहीं है। सभी वादीयां अपने ससुराल रहती है। वादग्रस्त आराजीयात में वादीयां का कभी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.01.21 13:55:38 IST
Reason: SelfAttested

भी कोई कब्जा नहीं रहा है, ना वर्तमान में ही हैं। जानबुझकर प्रतिवादी संख्या 3 से दुरभिसंधि कर उक्त वाद प्रस्तुत किया है ताकि प्रतिवादी संख्या 8 को तंग परेशान किया जा सके। आज से करीबन् वादीयां के पिता का देहान्त 40 साल के लगभग हो चुका है और तब से उनका उक्त वादग्रस्त आराजीयात पर कोई कब्जा नहीं हैं। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 व 5 ने अपनी खातेदारी हक हिस्से की कृषि भूमि आराजी नम्बर 1026, 1028 व 1027 का अपना हिस्सा ही मुझ प्रतिवादी संख्या 8 को विक्रय किया जबकि वादीयां द्वारा वाद में वर्णित कथन से प्रतीत होता है जैसे अपनी सभी कृषि भूमि को विक्रय कर दिया हो जो कि पूर्णतया गलत हैं। वादीयां का वादग्रस्त आराजीयात में कोई कब्जा नहीं है तथा वर्तमान में वादग्रस्त जमीन में आराजी नम्बर 1026, 1028 एवं 1027 प्रतिवादी संख्या 8 के नाम दर्ज हो कब्जे काश्त है। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 व 5 ने विधिवत् तरीके से विक्रय पत्र पंजीकृत करा कर प्रतिवादी संख्या 8 को सिपूर्द कर दिया हैं। वर्तमान में वादग्रस्त जमीन में आराजी नम्बर 1026, 1028 एवं 1027 प्रतिवादी संख्या 8 के नाम दर्ज हो कब्जे काश्त है, उक्त भूमि में प्रवेश करने से प्रतिवादी संख्या 8 को रोकने पर प्रतिवादी संख्या 8 को अपूरणीय क्षति होगी। वादीया का उक्त वादग्रस्त आराजीयात में कभी कोई कब्जा नहीं रहा वरन् प्रतिवादी संख्या 3 से दुरभिसंधि कर उक्त दावा प्रस्तुत किया गया है एवं उक्त आराजीयात पर विक्रय पत्र पंजीकृत होने की दिनांक से प्रतिवादी संख्या 8 का स्वामित्व एवं आधिपत्य चला आ रहा है, प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 व 5 ने वैधानिक दस्तावेज के आधार पर मुझे कब्जा सिपूर्द किया है और उसी आधार पर राजस्व रेकार्ड में नियमानुसार कार्यवाही कर दर्ज किया गया जब तक उक्त दस्तावेज को सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया जाता है तब तक उक्त दस्तावेज को नुमाईशी एवं बेअसर नहीं घोषित किया जा सकता है। वादीयां वादग्रस्त आराजीयात में स्वत्व नहीं रखने से वादग्रस्त आराजीयात में अपने आप को खातेदार काश्तकार घोषित नहीं करा सकती हैं।

17. यह कि वादीयां का जन्म हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागु होने से पहले हुआ है इस कारण से वादीयां का उक्त विवादित कृषि भूमि में जन्म के आधार पर कोई कानूनी हक अधिकार नहीं मिलते हैं। वादीया द्वारा यह कथन

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.01.21 13:55:38 IST
Reason: SelfAttested

करना कि वाद कारण प्रतिवादी संख्या 8 द्वारा कहने से पता चली जिससे भी स्पष्ट है कि वादीया का कभी कोई कब्जा उक्त भूमि पर नहीं रहा जानबुझकर कर प्रतिवादी संख्या 8 तंग परेशान करने के लिए ही उक्त वाद प्रस्तुत किया गया है जबकि वाद पत्र प्रस्तुत करने से पहले ही उक्त विक्रीत भूमि प्रतिवादी संख्या 8 के नाम दर्ज हो गई। इसलिए मेरे खिलाफ कोई वाद कारण पैदा नहीं हुआ।

18. यह कि वादीगण का उक्त मामला प्रथम दृष्टया नहीं है क्योंकि वादीयां का जन्म हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के लागु होने से पूर्व होने से उनका उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा अधिकार नहीं है, ना ही कभी कोई कब्जा ही उक्त भूमि पर वादीयां का रहा है, प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 व 5 ने अपने वैध अधिकारों का उपयोग करते हुए तय प्रतिफल प्राप्त कर वादग्रस्त आराजीयात प्रतिवादी संख्या 8 को विक्रय की है और पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए उक्त वादग्रस्त भूमि आराजी नम्बर 1026, 1028 व 1027 में मेरे हक हिस्से को दर्ज किया है, इसलिए वादीयां मेरे खिलाफ कोई स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने की अधिकारिणी नहीं हैं तथा मैं प्रतिवादी वादग्रस्त आराजीयात का उपयोग उपभोग करने एवं इसे रहन, बैह, बक्षीस करने का पूरा पूरा अधिकारी हूं। राज्य सरकार को प्रतिवादी संख्या 9 से 12 को धारा 80 का नोटिस नहीं दिये जाने से भी यह वाद चलने योग्य नहीं है। वादीया द्वारा ये कहना कि उक्त मामला आवश्यक प्रकृति का होने से कानूनी नोटिस नहीं देकर मात्र अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो गलत है जबकि नोटिस दिया जाना आवश्यक हैं। वादीयां ने गलत एवं विधि विरूद्व इस्तदुआ एवं डिक्री जारी कराने की मांग की है जो प्राप्त करने की वादीया अधिकारिणी नहीं है, इसलिए उक्त दावा मय हर्जा खर्चा खारिज कर धारा 35 ए जा.दी. के तहत् मुझे विशेष हर्जाना दिलाया जावें।

19. प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु निम्न तनकीयात कायम की गई :—

    1. आया वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक भूमि होने से वादीगण अपने हक हिस्सें की खातेदारी घोषणा कराने के अधिकारी हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.01.21 13:55:38 IST
Reason: SelfAttested

....................वादीगण

2. आया वादीगण भूमि अपने नाम कर प्रतिवादी के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी हैं।

....................वादीगण

3. आया वादीगण का जन्म हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागु होने से पहले हुआ है। अतः जन्म के आधार पर कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं।

....................प्रतिवादी सं. 1,2,4,5,8

4. दादरसी।

5. आया वादग्रस्त आराजीयात पर वादीगण का 12 साल से अधिक समय से कब्जा नहीं होने से भी वादीगण वादग्रस्त आराजीयात पर हक हिस्से की घोषणा कराने के अधिकारी नहीं हैं।

....................प्रतिवादी

20. प्रकरण में साक्ष्य वादीगण प्रारम्भ की गई। अधिवक्ता वादीगण द्वारा साक्ष्य वादीगण गवाह पीडब्ल्यू 1 श्रीमती लीलाबाई, पीडब्ल्यू 2 श्रीमती नाथीबाई, पीडब्ल्यू 3 श्रीमती मघाबाई, पीडब्ल्यू 4 श्री सत्यनारायण, पीडब्ल्यू 5 श्री कन्हैयालाल के शपथ पत्र पेश किये। गवाह से जिरह पूर्ण की गई। गवाह द्वारा दस्तावेज मौजा गादोली की भू प्रबन्ध विभाग की नकल सम्वत् 2030 प्रदर्श 1, 2, मौजा गादोली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2065—68 की खाता संख्या 233 प्रदर्श 3, खाता संख्या 235 प्रदर्श 4, खाता संख्या 234 प्रदर्श 5, खाता संख्या 234 मजफूर प्रदर्श 6, विक्रय पत्र दिनांक 17.04.2013 की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श 7 करवाये गये। प्रकरण में साक्ष्य प्रतिवादी प्रारम्भ की गई। अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य प्रतिवादी गवाह डीडब्ल्यू 1 श्री जगदीशचन्द्र का शपथ पत्र पेश किया। गवाह से जिरह पूर्ण की गई।

21. अधिवक्ता वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 3, 6, 7 की दावा बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण द्वारा अपनी बहस में वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा न्यायिक दृष्टान्त DNJ 2002 (3) Page 1357, RRT 2012 (1) Page 46, DNJ

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.01.21 13:55:38 IST
Reason: SelfAttested

2002 (2) Page 304 पेश कर वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 3, 6 द्वारा अपनी बहस में जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा वादीगण का वाद स्वीकार किये पर सहमति व्यक्त की। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 7 द्वारा अपनी बहस में जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा वादीगण का वाद खारिज किया जाने का निवेदन किया।

22. हमने अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता वादीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का सद्भावनापूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण में तनकीवार विवेचन इस प्रकार है कि :–

1. **आया वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक भूमि होने से वादीगण अपने हक हिस्सें की खातेदारी घोषणा कराने के अधिकारी हैं।**

उक्त तनकी को साबित कराने का भार वादीगण पर रहा। वादीगण द्वारा इस संबंध में प्रदर्श 1 ग्राम गादोली तहसील मावली जिला उदयपुर से संबंधित भू–प्रबंध विभाग की खतौनी बन्दोबस्त संवत 2030 की नकल प्रस्तुत की गई। जिसमें वादग्रस्त भूमि वादीगण के पिता भवानीशंकर पिता गणेणशलाल के नाम हिस्से अनुसार दर्ज है अर्थात वादग्रस्त भूमि वादीगण के पिता के नाम दर्ज थी। वादीगण के पिता के निधन के पश्चात वादग्रस्त भूमि में वादीगण का नाम दर्ज नही हुआ। केवल खातेदार भवानीशंकर पिता गणेशलाल के पुत्रो का नाम वादग्रस्त भूमि में दर्ज हुआ। जबकि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के तहत किसी खातेदार के निधन के पश्चात उसके सभी वारिसान का नाम दर्ज होना चाहिए था। जबकि राजस्व कर्मचारियो द्वारा सभी खातेदारो का नाम दर्ज नही किया गया। खातेदार के पुत्र नर्बदाशंकर एवं हिरालाल के निधन के पश्चात वादग्रस्त भूमि उनके पुत्र मुकेश व मनीष जो वादपत्र में प्रतिवादी संख्या 1, 4 है उनका नाम दर्ज हुआ। उनके द्वारा वादग्रस्त आराजी नम्बर 1026, 1027, 1028 में से अपने नाम दर्ज हिस्सा प्रतिवादी संख्या 8 जगदीशचन्द्र को विक्रय कर दिया। तत्पश्चात वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया। न्यायालय का मानना है कि वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.01.21 13:55:38 IST
Reason: SelfAttested

यह नही बताया गया है कि मूल पुरूष भवानीशंकरजी का निधन कब हुआ? उनके निधन के पश्चात भूमि किसके नाम दर्ज हुई। अर्थात वाद पत्र में स्पष्ट नही किया। ना ही वादीगण द्वारा विरासत के नामान्तरकरण एवं विक्रय पत्र के नामान्तरकरण की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत की। जबकि वादीगण को सभी नामान्तरकरण की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करनी चाहिए थी। फिर भी जमाबंदी के आधार पर यह मान लिया जाता है कि वादग्रस्त भूमि वादीगण के पिता के नाम दर्ज थी। हाल जमाबंदी में वादीगण का नाम दर्ज नही है। इससे जाहीर होता है कि वादीगण का नाम वादग्रस्त भूमि में दर्ज नही हुआ। तो भी वादीगण के पिता के नाम दर्ज भूमि सम्पूर्ण विक्रय नही की गई। केवल मात्र कुछ आराजीयात में से ही हिस्सा विक्रय किया गया है। अर्थात शेष रही वादग्रस्त भूमि में से भी वादीगण को हिस्सा दिया जाता है तो भी वादीगण का सम्पूर्ण हिस्सा दिया जा सकता है। क्योंकि वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1, 4 का भी हक हिस्सा निहित है तथा उनके द्वारा अपने हिस्से से ज्यादा भूमि का विक्रय नही किया गया है। ऐसे में प्रतिवादी संख्या 8 सद्भावी क्रेता है। सद्भावी क्रेता की भूमि से वादीगण को हिस्सा दिया जाना न्यायोचित नही पाया जाता है। उपर्युक्त विवेचन के आधार उक्त तनकी वादीगण के पक्ष में आंशिक साबित की जाती है।

2. **आया वादीगण भूमि अपने नाम कर प्रतिवादी के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी हैं।**

उक्त तनकी को साबित कराने का भार वादीगण पर रहा। वादग्रस्त भूमि के संबंध में राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी के अवलोकन करने से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि सहखातेदारी हक से दर्ज रिकॉर्ड है। जिसमें प्रतिवादीगण भी वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार है। वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि का बंटवाड़ा भी चाहा गया है, आनलाईन हाल जमाबंदी के अवलोकन करने से जाहीर आया की वादीगण द्वारा सभी सहखातेदारो को पक्षकार मुकद्धमा नही बनाया गया है। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानो के अनुसार विभाजन के वाद में सभी सहखातेदार आवश्यक पक्षकार है। सभी सहखातेदारो को सुने बिना विभाजन के आदेश दिया जाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.01.21 13:55:38 IST
Reason: SelfAttested

न्यायोचित नही है। ऐसे में यदि विभाजन के आदेश नही दिए जाते है तो वादग्रस्त भूमि सहखातेदारी की भूमि रहेगी। अर्थात राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण का नाम भी सहखातेदारी हक से दर्ज रिकॉर्ड रहेगा। सहखातेदार के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित नही है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उक्त तनकी वादीगण के विरूद्ध साबित की जाती है।

3. आया वादीगण का जन्म हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागु होने से पहले हुआ है। अतः जन्म के आधार पर कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं।

उक्त तनकी को साबित कराने का भार प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4, 5, 8 पर रहा। वादीगण द्वारा अपनी उम्र वादपत्र में अंकित उनवान में बताई गई। अर्थात वादीगण स्वयं द्वारा बताई गई अपनी उम्र अनुसार वादीगण का जन्म सन् 1956 से पूर्व हुआ है। ऐसे में प्रतिवादीगण का यह तथ्य तो माने जाने योग्य है कि वादीगण का जन्म हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम लागु होने से पुर्व हुआ है। न्यायालय का मानना है प्रकरण में यह नही देखा जा सकता है कि वादीगण का जन्म कब हुआ है। प्रकरण में यह देखा जाना है कि वादीगण द्वारा बताए गए मुल पुरूष का निधन कब हुआ है। क्योंकि मूल पुरूष का निधन सन् 1956 के बाद होता है तो वादग्रस्त भूमि में निहित हक हिस्से में उसके प्रथम श्रेणी के सभी वारिसान का हक हिस्सा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के तहत निहित होगें। भू–प्रबंध विभाग की खतौनी बन्दोबस्त संवत 2030 के अनुसार वादग्रस्त भूमि वादीगण द्वारा वाद पत्र की कलम संख्या 2 के अनुसार सजरे में बताए गए मूल पुरूष भवानीशंकर जी के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। इससे जाहीर होता है कि खातेदार का निधन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागू होने के पश्चात हुई है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उक्त तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध साबित की जाती है।

4. दादरसी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.01.21 13:55:38 IST
Reason: SelfAttested

उक्त तनकी के संबंध में न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि इस तनकी के पश्चात और तनकीयात कायम की जा चुकी है अतः निष्कर्ष सभी तनकीयात का निस्तारण किए जाने के पश्चात अंकित किया जावेगा।

5. आया वादग्रस्त आराजीयात पर वादीगण का 12 साल से अधिक समय से कब्जा नहीं होने से भी वादीगण वादग्रस्त आराजीयात पर हक हिस्से की घोषणा कराने के अधिकारी नहीं हैं।

उक्त तनकी को साबित कराने का भार प्रतिवादीगण पर रहा। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त तनकी को साबित कराने हेतु ऐसा कोई साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत नही किया जिससे यह प्रतीत होता हो कि वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कब्जा नही है। केवल मात्र मौखिक कथन किए गए है। मौखिक कथनो के आधार पर न्यायालय यह नही मान सकता है कि वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कब्जा नही हो। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उक्त तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध साबित की जाती है।

तनकीवार विश्लेषण के पश्चात न्यायालय का निष्कर्ष है कि प्रदर्श 1 ग्राम गादोली तहसील मावली जिला उदयपुर से संबंधित भू–प्रबंध विभाग की खतौनी बन्दोबस्त संवत 2030 की नकल अनुसार वादग्रस्त भूमि वादीगण के पिता भवानीशंकर पिता गणेशलाल के नाम हिस्से अनुसार दर्ज है अर्थात वादग्रस्त भूमि वादीगण के पिता के नाम दर्ज थी। प्रदर्श 3 लगायत 6 ग्राम गादोली पटवार हल्का की नकल जमाबंदी संवत 2065–68 के अनुसार वादग्रस्त भूमि वादीगण के पिता के नाम दर्ज नही है। बल्कि वादीगण के भाई एवं मृतक भाई के पुत्रो के नाम दर्ज है। इससे जाहीर होता है कि वादीगण के पिता के निधन के पश्चात वादग्रस्त भूमि में वादीगण का नाम दर्ज नही हुआ। केवल खातेदार भवानीशंकर पिता गणेशलाल के पुत्रो का नाम वादग्रस्त भूमि में दर्ज हुआ। जबकि हिन्दुउत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के तहत किसी खातेदार के निधन के पश्चात उसके सभी वारिसान का नाम दर्ज होना चाहिए था। राजस्व कर्मचारियो द्वारा सभी खातेदारो का नाम दर्ज नही किया गया। खातेदार के पुत्र नर्बदाशंकर एवं हिरालाल के निधन के पश्चात वादग्रस्त

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.01.21 13:55:38 IST
Reason: SelfAttested

भूमि उनके पुत्र मुकेश व मनीष जो वादपत्र में प्रतिवादी संख्या 1, 4 है उनके नाम भी दर्ज हुई। उनके द्वारा वादग्रस्त कुछ आराजीयात में से अपने नाम दर्ज हिस्सा प्रतिवादी संख्या 8 जगदीशचन्द्र को विक्रय कर दिया। तत्पश्चात वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया। न्यायालय का मानना है कि वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र में यह नही बताया गया है कि मूल पुरूष भवानीशंकरजी का निधन कब हुआ? उनके निधन के पश्चात भूमि किसके नाम दर्ज हुई। अर्थात वाद पत्र में स्पष्ट नही किया। ना ही वादीगण द्वारा विरासत के नामान्तरकरण एवं विक्रय पत्र के नामान्तरकरण की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत की। जबकि वादीगण को सभी नामान्तरकरण की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करनी चाहिए थी। फिर भी जमाबंदी के आधार पर यह मान लिया जाता है कि वादग्रस्त भूमि वादीगण के पिता के नाम दर्ज थी। हाल जमाबंदी में वादीगण का नाम दर्ज नही है। तो भी वादीगण के पिता के नाम दर्ज सम्पूर्ण भूमि विक्रय नही की गई। केवल मात्र कुछ आराजीयात में से ही हिस्सा विक्रय किया गया है। अर्थात शेष रही वादग्रस्त भूमि में से भी वादीगण को हिस्सा दिया जाता है तो भी वादीगण का सम्पूर्ण हिस्सा दिया जा सकता है। क्योंकि वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1, 4 का भी हक हिस्सा निहित है तथा उनके द्वारा अपने हिस्से से ज्यादा भूमि का विक्रय नही किया गया है। ऐसे में प्रतिवादी संख्या 8 एक सद्भावी क्रेता है। सद्भावी क्रेता की भूमि से वादीगण को हिस्सा दिया जाना न्यायोचित नही पाया जाता है।

चूंकि प्रकरण में वादीगण द्वारा बंटवाड़े का भी अनुतोष चाहा गया है। विभाजन के अनुतोष में न्यायालय को यह देखना आवश्यक होता है कि सभी सहखातेदार प्रकरण में पक्षकार है या नही? इस हेतु न्यायालय द्वारा आनलाईन हाल जमाबंदी का अवलोकन किया गया, जिससे जाहीर आया की वादीगण द्वारा सभी सहखातेदारो को पक्षकार मुकद्धमा नही बनाया गया है। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानो के अनुसार विभाजन के वाद में सभी सहखातेदार आवश्यक पक्षकार है। सभी सहखातेदारो को सुने बिना विभाजन के आदेश दिया जाना न्यायोचित नही

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi
Punadia
Date: 2026.01.21 13:55:38 IST
Reason: SelfAttested

है। साथ ही वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा भी चाही गई है। जबकि प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार है। सहखातेदार के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित नही है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय का मानना है कि वादीगण के पिता की भूमि में वादीगण की जितनी भूमि बनती है। वो सम्पूर्ण भूमि वादीगण को उनके भाई एवं भाई के पुत्रो के नाम शेष रही भूमि से दिया जाना न्यायोचित पाया जाता है। साथ ही न्यायालय का यह भी मानना है कि वादीगण की भूमि वादीगण के भाई एवं मृतक भाई के पुत्रो के नाम दर्ज हिस्सा भूमि से ही पूर्ण हो जाती है तो सद्भावी क्रेता के नाम दर्ज हिस्सा भूमि में से दिया जाना न्यायोचित नही है। क्योंकि वादग्रस्त भूमि में वादीगण के मृतक भाई के पुत्रो का भी हिस्सा निहित था। जिसके कारण वे वादग्रस्त भूमि के रिर्कोडेड खातेदार थे। उनको अपने परिवार की आवश्यकताओ की पूर्ति हेतु अपने हक हिस्से तक की भूमि को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार था। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादीगण का वाद आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि ग्राम गादोली पटवार हल्का गादोली की हाल ऑनलाईन जमाबंदी संवत 2077—80 के खाता संख्या 198 पर दर्ज आराजी नम्बर 1026, 1028, 1029 किता 3 कुल रकबा 1.6511 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 3 फतेहलाल पिता भवानीशंकर के नाम 1/6 हिस्से से दर्ज है के बजाय वादीगण को संयुक्त रूप से 1/12 एवं प्रतिवादी संख्या 3 को 1/12 हिस्से से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष खाता बदस्तूर रहेगा।

इसी प्रकार खाता संख्या 197 पर दर्ज आराजी नम्बर 1027 रकबा 0. 3966 हैक्टेयर भूमि में भूमि प्रतिवादी संख्या 3 फतेहलाल पिता भवानीशंकर के नाम 1/6 हिस्से से दर्ज है के बजाय वादीगण को संयुक्त रूप से 1/12 एवं प्रतिवादी संख्या 3 को 1/12 हिस्से से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष खाता बदस्तूर रहेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.01.21 13:55:38 IST
Reason: SelfAttested

इसी प्रकार खाता संख्या 249 पर दर्ज आराजी नम्बर 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1022, 1023, 1030, 1031, 1032, 1038, 823, 824, 849 किता 14 कुल रकबा 4.1844 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 मुकेश के नाम 12 हिस्से से, प्रतिवादी संख्या 2 तुलछा के नाम 1/12 हिस्से से, प्रतिवादी संख्या 3 फतेहलाल के नाम 1/6 हिस्से से, प्रतिवादी संख्या 4 मनीष कुमार के नाम 1/12 हिस्से एवं प्रतिवादी संख्या 5 कुशल कुमार के नाम 1/12 हिस्से दर्ज है, के बजाय वादीगण को संयुक्त रूप से 7813/20922 हिस्से से, प्रतिवादी संख्या 1 को 1781/83688 हिस्से से, प्रतिवादी संख्या 2 को 1781/83688 हिस्से से, प्रतिवादी संख्या 3 को 1/12 हिस्से से, प्रतिवादी संख्या 4 को 7/20922 हिस्से एवं प्रतिवादी संख्या 5 को 7/20922 हिस्से से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष खाता बदस्तूर रहेगा।

इसी प्रकार खाता संख्या 248 पर दर्ज आराजी नम्बर 1644, 1645, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 844 किता 20 कुल रकबा 4.2086 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 मुकेश के नाम 1/24 हिस्से से, प्रतिवादी संख्या 2 तुलछा के नाम 1/24 हिस्से से, प्रतिवादी संख्या 3 फतेहलाल के नाम 1/12 हिस्से से दर्ज है, के बजाय वादीगण को संयुक्त रूप से 1/12 हिस्से से, प्रतिवादी संख्या 1 को 1/48 हिस्से से, प्रतिवादी संख्या 2 को 1/48 हिस्से से, प्रतिवादी संख्या 3 को 1/24 हिस्से से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष खाता बदस्तूर रहेगा।

डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 02.12.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.01.21 13:55:38 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली
बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्रीमती मघाबाई पुत्री भवानीशंकर पत्नी भंवरलाल आमेटा ब्राहम्ण निवासी नवानिया तहसील वल्लभनगर।
2. श्रीमती लीलाबाई पुत्री भवानीशंकर पत्नी अमृतलाल आमेटा ब्राहम्ण निवासी ईण्टाली तहसील मावली।
3. श्रीमती नाथीबाई पुत्री भवानीशंकर पत्नी शिवचन्द्र आमेटा ब्राहम्ण निवासी तितरडी तहसील गिर्वा।

...........वादीगण

बनाम्

1. श्री मुकेश पिता नर्बदाशंकर आमेटा ब्राहम्ण निवासी गादोली तहसील मावली।
2. श्रीमती तुलसा पत्नी नर्बदाशंकर आमेटा ब्राहम्ण निवासी गादोली तहसील मावली।
3. श्री फतहलाल पिता भवानीशंकर आमेटा ब्राहम्ण निवासी गादोली तहसील मावली।
4. श्री मनीष कुमार पिता हीरालाल आमेटा ब्राहम्ण निवासी गादोली तहसील मावली।
5. श्री कुशल कुमार पिता हीरालाल आमेटा ब्राहम्ण निवासी गादोली तहसील मावली।
6. श्रीमती धापुबाई बेवा भवानीशंकर आमेटा ब्राहम्ण निवासी गादोली तहसील मावली। तर्क किया।
7. श्री यज्ञप्रकाश पिता रामचन्द्र आमेटा ब्राहम्ण निवासी गादोली तहसील वल्लभनगर।
8. श्री जगदीशचन्द्र पिता लक्ष्मीलाल विजयवर्गीय निवासी गादोली तहसील मावली।
9. तहसीलदार, तहसील कार्यालय मावली तहसील मावली।
10. उप पंजीयक, उप पंजीयन कार्यालय मावली तहसील मावली।
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।
12. श्रीमती गोपीबाई पत्नी लक्ष्मीलाल आमेटा निवसी तितरडी तहसील गिर्वा।
13. श्री मांगीलाल पिता डालचन्द आमेटा निवासी गादोली तहसील मावली। लाऔलाद फौत।
14. श्री मांगीलाल पिता दौलतराम आमेटा निवासी गादोली तहसील मावली। मृतक के बजाय :–

14/1 श्री गोपेश पिता मांगीलाल आमेटा निवासी गादोली तहसील मावली।
14/2 श्री योगेशचन्द्र पिता मांगीलाल आमेटा निवासी गादोली तहसील मावली।
14/3 श्रीमती शान्तादेवी पत्नी मांगीलाल आमेटा निवासी गादोली तहसील मावली।
14/4 श्रीमती मंजूदेवी पत्नी सुरेशचन्द्र पुत्री मांगीलाल आमेटा निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.01.21 13:55:38 IST
Reason: SelfAttested

14/5 श्रीमती रेखादेवी पत्नी सत्यनारायण पुत्री मांगीलाल आमेटा निवासी खेमपुर तहसील मावली।
14/6 श्रीमती इन्द्रा देवी पत्नी राजेन्द्र आमेटा निवासी सांगवा तहसील मावली।
14/7 श्रीमती वीनू देवी पत्नी सुरेशचन्द्र आमेटा निवासी खेरोदा तहसील वल्लभनगर।
15. श्री रामचन्द्र पिता दौलतराम आमेटा निवासी गादोली तहसील मावली।
16. श्री भरत पिता दौलतराम आमेटा निवासी गादोली तहसील मावली।
17. श्री भूरालाल पिता दौलतराम आमेटा निवासी गादोली तहसील मावली।
18. श्री रामेश्वरलाल पिता मोडा गुर्जर निवासी तलाई गादोली तहसील मावली।
19. श्री अरूण कुमार पिता कैलाशचन्द्र आमेटा निवासी गादोली तहसील मावली।
20. श्री रामचन्द्र पिता हमेरलाल आमेटा निवासी गादोली तहसील मावली।
21. श्री कन्हैयालाल पिता हमेरलाल आमेटा निवासी गादोली तहसील मावली।
22. श्री खेमराज पिता मोडा गुर्जर निवासी तलाई तहसील मावली।
22/1 श्री देवीलाल पिता स्व. खेमराज गुर्जर निवासी तलाई तहसील मावली।
22/2 श्री दिनेशचन्द्र पिता स्व. खेमराज गुर्जर निवासी तलाई गादोली तहसील मावली।

...............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 134/13 (वाद)

GCMS No. – 2013/00021

यह मुकद्दमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. मिनजानिब मुद्वायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि ग्राम गादोली पटवार हल्का गादोली की हाल ऑनलाईन जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 198 पर दर्ज आराजी नम्बर 1026, 1028, 1029 किता 3 कुल रकबा 1.6511 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 3 फतेहलाल पिता भवानीशंकर के नाम 1/6 हिस्से से दर्ज है के बजाय वादीगण को संयुक्त रूप से 1/12 एवं प्रतिवादी संख्या 3 को 1/12 हिस्से से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष खाता बदस्तूर रहेगा।

इसी प्रकार खाता संख्या 197 पर दर्ज आराजी नम्बर 1027 रकबा 0. 3966 हैक्टेयर भूमि में भूमि प्रतिवादी संख्या 3 फतेहलाल पिता भवानीशंकर के नाम 1/6 हिस्से से दर्ज है के बजाय वादीगण को संयुक्त रूप से 1/12 एवं प्रतिवादी संख्या 3 को 1/12 हिस्से से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष खाता बदस्तूर रहेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.01.21 13:55:38 IST
Reason: SelfAttested

इसी प्रकार खाता संख्या 249 पर दर्ज आराजी नम्बर 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1022, 1023, 1030, 1031, 1032, 1038, 823, 824, 849 किता 14 कुल रकबा 4.1844 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 मुकेश के नाम 12 हिस्से से, प्रतिवादी संख्या 2 तुलछा के नाम 1/12 हिस्से से, प्रतिवादी संख्या 3 फतेहलाल के नाम 1/6 हिस्से से, प्रतिवादी संख्या 4 मनीष कुमार के नाम 1/12 हिस्से एवं प्रतिवादी संख्या 5 कुशल कुमार के नाम 1/12 हिस्से दर्ज है, के बजाय वादीगण को संयुक्त रूप से 7813/20922 हिस्से से, प्रतिवादी संख्या 1 को 1781/83688 हिस्से से, प्रतिवादी संख्या 2 को 1781/83688 हिस्से से, प्रतिवादी संख्या 3 को 1/12 हिस्से से, प्रतिवादी संख्या 4 को 7/20922 हिस्से एवं प्रतिवादी संख्या 5 को 7/20922 हिस्से से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष खाता बदस्तूर रहेगा।

इसी प्रकार खाता संख्या 248 पर दर्ज आराजी नम्बर 1644, 1645, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 844 किता 20 कुल रकबा 4.2086 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 मुकेश के नाम 1/24 हिस्से से, प्रतिवादी संख्या 2 तुलछा के नाम 1/24 हिस्से से, प्रतिवादी संख्या 3 फतेहलाल के नाम 1/12 हिस्से से दर्ज है, के बजाय वादीगण को संयुक्त रूप से 1/12 हिस्से से, प्रतिवादी संख्या 1 को 1/48 हिस्से से, प्रतिवादी संख्या 2 को 1/48 हिस्से से, प्रतिवादी संख्या 3 को 1/24 हिस्से से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष खाता बदस्तूर रहेगा।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 02.12.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.01.21 13:55:38 IST
Reason: SelfAttested